भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 2834
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 07 अगस्त, 2023
16 श्रावण, 1945 (शक)

लापता प्राचीन वस्तुओं की बरामदगी

2834. **श्री के. सुधाकरन:**
श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:
श्री टी.एन. प्रथापन:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पुरावशेष और बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम,1972 के अंतर्गत पंजीकृत जम्मू और कश्मीर की ऐसी प्राचीन वस्तुओं की संख्या कितनी है जिनके लापता होने अथवा चोरी होने की सूचना है;
(ख) पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियो द्वारा बंद की गई जांचों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार अभी भी लापता प्राचीन वस्तुओं को बरामद करने की योजना बना रही है; और
(घ) अन्य देशों में उन संग्रहालयों और संग्रहों की संख्या और ब्यौरा क्या है, जो लापता या चोरी हुई प्राचीन वस्तुओं को भारत को वापस करने पर सहमत हो गए हैं?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): और (ख):पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के तहत संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में कुल 1204 पुरावशेषों को पंजीकृत किया गया है जिनमें से एक पुरावशेष के वर्ष 1983 में लापता होने की सूचना मिली थी। मामले की जांच की जा रही है।

(ग) और (घ): सरकार उन सभी पुरावशेषों को वापस प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, जो अभी तक गुम हैं। जब भी किसी पुरावशेष के चोरी होने की रिपोर्ट की जाती है, संबंधित पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाती है और चोरी हुए पुरावशेष को ढूंढने और इसके अवैध निर्यात को रोकने के लिए सीमा शुल्क निकास चैनलों सहित विधि प्रवर्तक एजेंसियों को निगरानी रखने के लिए 'लुक आउट नोटिस' जारी किया जाता है। यदि पुरावशेष को ढूंढ लिया जाता है तो संबंधित विधि प्रर्वतन एजेंसी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ समन्वय करके इसकी प्राप्ति के लिए मामले पर कार्रवाई करती है।

जब कभी भारतीय मूल के ऐसे किसी पुरावशेष के विदेश में होने का पता चलता है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसको प्राप्त करने के लिए विदेश मंत्रालय के माध्यम से विदेश में भारतीय दूतावासों/ मिशनों के साथ मामले को उठाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने वर्ष 1976 से 2023 तक विदेशों से 251 पुरावशेषों को वापस प्राप्त किया है, जिनमें से 238 पुरावशेष वर्ष 2014 से वापस प्राप्त किए गए हैं। विदेश में किसी संग्रहालय के साथ, लापता या चोरी हुए अवशेषों को वापस लाने के लिए कोई करार नहीं किया गया है।

*****